In-Service extension and re-employment after retirement to Government employees

1557. SHRI YASHWANT SINHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of retiring Government servants who have been given extension in service and/or re-employment after retirement since December, 1989, till date;

(b) whether it is the policy of Government to give extensions or re-employment freely to retiring Government servants; and

(c) if not what is the justification for giving such extension or re-employment after retirement to Government employees?

THE PRIME MINISTER AND MINISTER OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) As the appropriate authorities in the respective Ministries/Departments are competent to grant extension/re-employment in service to Government employees working under them, the information regarding the number of employees who have been granted extension/re-employment in service since December, 1989 is not available centrally in this Ministry.

(b) and (c) No, Sir. Extension in service/re-employment after superannuation to a Government servant is to be granted in very rare and exceptional circumstances purely in public interest when either another officer is not ripe enoogh to tafie over the job or the retiring officer is of outstanding merit.

पहाड़ों पर वनों की सुरक्षा हेतु कदम

1558. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ों पर वनों की सुरक्षा हेतु, विशेष रूप से आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा क्या-क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं; पुरानी तथा नई वन नीति में क्या अन्तर है ; और

(ख) वन सम्पदा में कमी होने के क्या कारण हैं तथा वनों में और कमी न होने देने के लिए सरकार की क्या योजनायें हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) पहाड़ों पर वनों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए :—

1. राज्य सरकारों को निम्नलिखित दिशा-निदेश जारी किए गए :—

1. प्राकृतिक वनों की कटाई न करना जहां इस प्रकार की कटाई फ़सलों की बहाली या अन्य वनवर्धन कार्यों के लिए जरूरी हो, वहां कटाई पहाड़ियों मे 10 हेक्टेयर और मैदानों में 25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नहीं की जानी चाहिए ।

2. कम से कम कुछ वर्षों के लिए पहाड़ियों में 1,000 मीटर से ऊपर कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना ।

3. पहाड़ियों और पर्वतों में उन नाजुक क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें वनों की सुरक्षा तथा तत्काल तेजी से वनरोपण किए जाने की आवश्यकता है ।

2. राज्य सरकारों को निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी गई है :—

1. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों और बायोगैस संयंत्रों की स्थापना और सुधरे हुए चूल्हों का वितरण जैसे ईंधन बचाने के उपकरणों को लोकप्रिय बनाना ।

2. सुधरे हुए शवदाह गृहों आदि की स्थापना ।

3. पशुओं को खूंटे पर खिलाना और वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन ।

4. चराई का नियंत्रण और विनियमन ।